

12⁰⁸/₂₂


भाज यह पत्रावली पेश हुई। वही
एवं वही वकील के ले कोर्ट उपस्थित
नहीं हुआ। न्यायालय के बार-बार
आवाज लगवाने के बावजूद ~~वही~~
सोय 5.00 बजे तक वही एवं वही
वकील के ले कोर्ट उपस्थित नहीं
हुआ। श्लवाड अफम हाजरी एवं
अफम पेशी के खारिज हो

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सुका है। मूलवाद का निस्तारण है
जाने कि जा० पत्र 212 RT Act का
कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः जा० पत्र 212 RT Act
की कार्यवाही शेष की जाती है।
पत्रावली जैसल शुभार हो कर रजिस्टर
के काम की जावे। जैसल मूलवाद है।


S D O